संख्या-15 /2022/पी-384 /002-38-9002 002 2 2022

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 06 दिसम्बर, 2022**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आय-व्ययक में सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि रू0 56.75 लाख (रू0 छप्पन लाख पचहत्तर हजार) अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4668/एफ-31(10)/यूपीआरआरडीए/2022-23, दिनांक-04.11.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के संचालन हेतु सहायता अनुदान में गैर वेतन मद के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 227.00 लाख (रूपये दो करोड सत्ताईस लाख मात्र) के सापेक्ष तृतीय **किश्त** (25 प्रतिशत) के रूप में रू0 56.75 लाख (रू0 छप्पन लाख पचहत्तर हजार) को आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(2) पूर्व स्वीकृत किश्त के नियमानुसार व्यय/समायोजन, आकड़ों की शुद्धता व स्वीकृत धनराशि को मितव्ययिता के साथ अनुमन्य मदों में व्यय करने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करते हुए अपितु प्रकरण में आवश्यकता व औचित्य के संबंध में संतुष्ट होते हुए नियमानुसार ही किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्यि कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण/व्यय किये जाने से पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में वर्तमान में प्रभावी विधान सभा सामान्य निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन किसी स्तर पर नही हो रहा है।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 56,75,000 (रुपये छप्पन लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 013 लेखाशीर्षक 2515008000401 उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या यू0ओ0-ई0-2-100/दस-2022-23 दिनांक-25.11.2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

संख्या-15 /2022/पी-384 /002-38-9002 002 2 2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- श्री हरी राम (नोडल अधिकारी), संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट एलाटमेट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेट सिस्टम में प्रविष्ट करने हेतु।
8- गार्डबुक।

आज्ञा से,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।